तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक निगरानीकर्ता
श्री डूंगर सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक : 01.03.2019

1. यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, डेगाना द्वारा दिनांक 25–5–2004 को पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई है। उस आदेश के द्वारा अप्रार्थिया नन्दकंवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किया गया था तथा वाद संख्या 111 / 2002 में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–2002 को निरस्त करते हुए पत्रावली को नये सिरे से सुनवाई के लिये पुनः दर्ज करने के आदेश दिये गये।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता / वादी रामनिवास ने उपखण्ड अधिकारी, डेगाना के न्यायालय में धारा 88, 91 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया, जिसे दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के गैर हाजिर रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 30–12–2002 को वादी का वाद डिक्री कर दिया। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट नन्दकंवर ने विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 25–5–2004 द्वारा स्वीकार कर लिया। जिससे असंतुष्ट होकर निगरानीकर्ता / वादी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की दलील है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया था तथा प्रतिवादीगण के बावजूद तामील गैर हाजिर रहने पर उनके विरूद्ध दिनांक 27–9–2002 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये थे किन्तु रेस्पोडेन्ट की माता मु0 सज्जन कंवर द्वारा उसके विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करने हेतु कोई चाराजोही नहीं की गई तथा उसकी पुत्री नन्द कंवर द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा गलत रूप से स्वीकार कर लिया। उनकी दलील है कि प्रथमतः न तो नन्द कंवर वाद में प्रतिवादी के रूप में दर्ज थी एवं न ही वह वाद में पक्षकार रही है। ऐसी स्थिति में एक तृतीय पक्षकार द्वारा जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया, वह विधिक प्रावधानों के विपरीत था। उनकी यह भी दलील है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–2002 में मंजूर किया रास्ता लगभग 1.5 किमी. लम्बा है व जिसमें लगभग 20 खातेदार आते हैं, जिसे इन्होंने मंजूर किया है तथा रास्ता कदीमी होने बाबत स्वीकारोक्ति दी है तथा मंजूरशुदा 1.5 किमी. रास्ता में से केवल 1 बिस्वा के लगभग आराजी ही नन्द कंवर के हिस्से में आती है, ऐसी स्थिति में नन्द कंवर के हिस्से तक ही उसे सुनवाई का अवसर दिये जाने के बजाए पूरा आदेश ही केवल मात्र नन्द कंवर अकेले के प्रार्थना पत्र पर खारिज नहीं किया जा सकता था क्योंकि मंजूरशुदा रास्ता के शेष खातेदारान को कोई शिकायत नहीं थी एवं न ही उन्होंने उपखण्ड अधिकारी डेगाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–2002 को निरस्त करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र अथवा अपील ही प्रस्तुत की थी। किन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर गौर किये बगैर आक्षेपित आदेश पारित करने में है गंभीर विधिक त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 25–5–2004 निरस्त किया जाए। 5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने आक्षेपित आदेश दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	25–5–2004 को विधि सम्मत बताया है। उनकी यह भी दलील है कि रेस्पोडेन्ट नन्द कंवर की माता की विधिवत तामील हुए बगैर गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही उसके खिलाफ अमल में लाई गई एवं अवैधानिक रूप से एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये थे, जिसे विचारण न्यायालय ने उचित रूप से अपास्त किया है। न्याय का यही तकाजा है कि प्रकरणों का निस्तारण दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए ताकि उनमें सारभूत न्याय हो सके। इसीलिए विचारण न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया है, जिसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जाए। 6. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। 7. मूल वाद में रेस्पोडेन्ट नन्द कंवर पक्षकार नहीं थी। उसकी माता सज्जन कंवर पक्षकार थी। उसके अलावा बीस अन्य प्रतिवादीगण भी थे। दिनांक 27–9–2002 को विचारण न्यायालय ने सभी प्रतिवादीगण की तामील सम्यक होना मानते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये थे। फिर साक्ष्य वादी लेखबद्ध की गई एवं दिनांक 30–12–2002 को पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री के द्वारा वादी / निगरानीकर्ता का वाद डिक्री किया गया था। इसके बाद केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी माता का इस बीच निधन हो जाने का तथ्य अंकित करते हुए एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त कराने का आवेदन पत्र दिनांक 24–2–2003 को विचारण न्यायालय में पेश किया था। विचारण न्यायालय ने उक्त दरख्वास्त को दिनांक 25–5–2004 को लिखाये गये आदेशानुसार स्वीकार कर लिया एवं एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया। आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के आवेदन पत्र में अन्य किसी प्रतिवादी को पक्षकार नहीं बनाया गया था। विचारण न्यायालय ने दरख्वास्त स्वीकार करने से पूर्व इस तथ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया कि क्या वह दरख्वास्त अन्दर मियाद पेश हुई है ? भारतीय मियाद अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 123 में एकपक्षीय पारित डिक्री	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को अपास्त कराने के लिए 30 दिन की समयावधि नियत की गई है। यह अवधि डिक्री की तारीख या जहां कि सम्यक रूप से प्रतिवादी पर तामील नहीं हुई हो वहां डिक्री का ज्ञान आवेदक को होने की तारीख से आरम्भ होगी। इस मामले में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नन्द कंवर ने अपनी दरख्वास्त में यह तो अंकित किया है कि उसे एकपक्षीय निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 14–2–2003 को हुई थी किन्तु इस जानकारी का कोई स्त्रोत उसने आवेदन पत्र या शपथ पत्र में अंकित नहीं किया जबकि निगरानीकर्ता / वादी ने आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के आवेदन पत्र के जवाब में आक्षेपित निर्णय का दिनांक 31–12–2002 को ही जमाबंदी में अमल दरामद हो जाना अंकित किया है। इन परिस्थितियों में मियाद का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण हो जाता था तथा उसे निर्णित किये बगैर विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. गुणावगुण पर निर्णित नहीं करना चाहिए था। भारतीय मियाद अधिनियम, 1963 की धारा 3 में इस बाबत अत्यन्त ही स्पष्ट प्रावधान है कि यदि विहित काल के पश्चात कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है तो उसे खारिज कर दिया जायेगा यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात नहीं उठायी गई हो। इसलिए विचारण न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद का मुद्दा ही तय करना चाहिए था तथा मेरी विनम्र राय में इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह मुद्दा तथ्यों एवं विधि का मिश्रित प्रश्न होने के कारण साक्ष्य का मोहताज था। इसलिए आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र केवल मात्र दरख्वास्त एवं उसके जवाब के आधार पर नहीं बल्कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 141 के प्रावधानों के अनुसरण में दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर ही तय करना चाहिए था। अतः आक्षेपित आदेश विधि सम्मत नहीं है तथा इस कारण यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। 8. लिहाजा वादी / निगरानीकर्ता रामनिवास की ओर से प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विचारण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–5–2004 अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देश हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का इस निर्णय में दिये गये उक्त ऑबजरवेशन्स के अनुसार पुनः नये सिरे से दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देकर विधिनुसार निस्तारण करे। चूंकि प्रकरण काफी पुराना हो चुका है, इसलिए इस प्रकरण को प्राथमिकता दी जाए। तहत का अभिलेख शीघ्र लौटाया जावे। सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। **(राजेन्द्र कुमार)** **सदस्य**	